



केन्द्रीय विद्यालय संगठन/KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18, संस्थागत क्षेत्र , शहीद जीत सिंह मार्ग /18 INSTITUTIONAL AREA, SHAHEED JEET SINGH MARG,
नई दिल्ली-110016 / NEW DELHI-110016

F.No. 11-E-II046/2/2024-ESTT-II/Part1-A-2-I-(B)-a)-Organizational Requirement (under-40)

Date: 25/06/2024

स्थानांतरण आदेश/TRANSFER ORDER

केविस की स्थानांतरण नीति के Part - 1 - A के पैरा 2 (I) (B) a) के अंतर्गत दुर्गम/पूर्वोत्तर क्षेत्र में रिक्त पदों को भरने के लिए कर्मचारियों को स्थानांतरित करने का प्रावधान है, तदनुसार ससंगठनात्मक आवश्यकताओं में निम्नलिखित कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाता है। निम्नलिखित कर्मचारी केविस के नियमानुसार स्थानांतरण सम्बन्धी लाभ के हकदार होंगे।

In terms of para 2 (I) (B) a) of Part - 1 - A of the KVS Transfer Policy which inter-alia provides transfer of employees to fill up vacancies in Hard/NER Station. Accordingly, the transfer of the following employees is ordered in Organisational requirements. They are entitled for all Transfer benefits as per KVS rules

SL No.	EMP CODE	EMPLOYEE NAME	POST	SUBJECT	REGION CODE	STATION CODE	KV CODE	KV NAME	SHIFT	REGION CODE	STATION CODE	KV CODE	KV NAME	SHIFT
					-----TRANSFERRED FROM-----					-----TRANSFERRED TO-----				
1	49675	SUNNY SHARMA	ASSISTANT SECTION OFFICER	NOT APPLICABLE	32	170	1290	KENDRIYA VIDYALAYA NO.1 AMBALA CANTT.	0	28	112	1173	KENDRIYA VIDYALAYA IOP MEGHAHATUBURU	0

यह आदेश केविस के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किए जाते हैं। / This issues with the approval of the Competent Authority of KVS.

(दीपक कुमार डबराल)
(Deepak Kumar Dabral)
सहायक आयुक्त (स्था-II/III)
Assistant Commissioner (Estt.II/III)

वितरण/Distribution:-

1. संबंधित कर्मचारी/ The Individual concerned.
2. संबंधित प्राचार्य को इन निर्देशों के साथ कि वे संबंधित कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त करें। उन्हें यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त करने/ कार्यभार ग्रहण करने संबंधी जानकारी अपने क्षेत्रीय कार्यालय को शीघ्र दें। / The Principal concerned with the direction to relieve the employee immediately. They are also directed to intimate to RO concerned about relieving/joining of the employee.
3. उपायुक्त, के.वि.सं., संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।/ Deputy Commissioner, KVS RO concerned for information and necessary action.
4. संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के वित्त अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु। / Finance Officer of the region concerned for necessary action.
5. के.वि.सं. के मान्यता प्राप्त सभी एसोसिएशनों के महासचिव। / General Secy. of the recognized associations of KVS.
6. सहायक आयुक्त (ई.डी.पी.), के.वि.सं. (मु.) को इस निवेदन के साथ कि वे इस स्थानांतरण आदेश की प्रतिलिपि के.वि.सं. मु. की वेबसाइट पर अपलोड करवाएं। / Assistant Commissioner (EDP), KVS HQ with the request to upload a copy of this transfer order on KVS HQ website.
7. गार्ड फाइल। / Guard File.